RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक २२] बुधवार, जुलै १९, २०१७/आषाढ २८, शके १९३९ [पृष्ठे ७, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ३२

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

विधि तथा न्याय विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांकीत १३ जुलाई २०१७।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XII OF 2017.

AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE SHREE SAI BABA SANSTHAN TRUST (SHIRDI) ACT, 2004.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. १२ सन् २०१७ ।

श्री साई बाबा संस्थान न्यास (शिर्डी) अधिनियम, २००४ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका हैं कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, श्री साई बाबा संस्थान न्यास (शिर्डी) अधिनियम, २००४ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; सन् २००४ का महा. १४ ।

अब, इसलिये, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अध्यादेश, श्री साई बाबा संस्थान न्यास (शिर्डी) (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ कहलाए ।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

सन् २००४ का महा. १४ की धारा २ में संशोधन ।

२. श्री साई बाबा संस्थान न्यास (शिर्डी) अधिनियम, २००४ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम ", कहा गया है) की धारा २ में, (क) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—— सन् २००४ का महा. १४ ।

" (ग-१) " मुख्य कार्यकारी अधिकारी " का तात्पर्य, समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, से है ; ";

सन् २००४ का महा. १४ की धारा ११ में संशोधन ।

३. मूल अधिनियम की धारा ११ की,—

(क) उप-धारा (२) में, निम्न परंतुक, जोडा जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, जब गणपूर्ति आवश्यक है किंतु उपस्थित नहीं है, तब पिठासीन प्राधिकारी, तीस मिनट के लिये बैठक स्थगित करेगा और कार्य, जो मूल बैठक में, जहाँ गणपूर्ति थी के समक्ष लाया गया था, स्थगित बैठक के समक्ष लाया जायेगा और ऐसी संस्थगित बैठक में, चाहे वहाँ गणपूर्ति उपस्थित हो या न हो वह निपटाया जा सकेगा । " ;

(ख) उप-धारा (५) में, " कार्यकारी अधिकारी " शब्दों के स्थान में, " मुख्य कार्यकारी अधिकारी " शब्द रखे जायेंगे ।

सन् २००४ का महा. १४ की धारा १३ में संशोधन ।

४. मूल अधिनियम की धारा १३ की,—

(क) उप-धारा (१) में,—

(एक) " कार्यकारी अधिकारी " शब्दों के स्थान में, " मुख्य कार्यकारी अधिकारी " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) परंतुक में, " कार्यकारी अधिकारी " शब्द जहाँ कहीं वे आए हो, के स्थान में, " मुख्य कार्यकारी अधिकारी " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (२) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

" (२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय प्रशासकीय सेवाओं के संवर्ग के अधिकारियों में से चयनित किया जायेगा :

परंतु, ऐसा अधिकारी, श्री साई बाबा का भक्त होगा और विहित प्ररूप में ऐसी अधिघोषणा करेगा :

परन्तु आगे यह कि, श्री साई बाबा संस्थान न्यास (शिर्डी) (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ के प्रारम्भण के दिनांक के पूर्व कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासकीय सेवाओं में का अधिकारी, और कामकाज के उस दिनांक को इस धारा के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया समझा जायेगा । " ; सन् २०१७ का महा अध्या. क्र. १२ ।

(ग) उप-धारा (३) में, " कार्यकारी अधिकारी " शब्द, दोनों स्थानों पर जहाँ वे आये हों, के स्थान में, " मुख्य कार्यकारी अधिकारी " शब्द रखे जायेंगे ;

(घ) उप-धारा (४) में, " कार्यकारी अधिकारी " शब्दों के स्थान में, " मुख्य कार्यकारी अधिकारी " शब्द रखे जायेंगे ;

(ङ) पार्श्व टिप्पणी में, " कार्यकारी अधिकारी " शब्दों के स्थान में, " मुख्य कार्यकारी अधिकारी " शब्द रखे जायेंगे ।

५. मूल अधिनियम की धारा १४ की,— सन् २००४ का महा १४ की धारा १४ में संशोधन ।

(क) उप-धारा (१) में, " कार्यकारी अधिकारी " शब्दों के स्थान में, " मुख्य कार्यकारी अधिकारी " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (२) में,—

(एक) " कार्यकारी अधिकारी " शब्दों के स्थान में " मुख्य कार्यकारी अधिकारी " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) खण्ड (क) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् : —

" (क) (एक) जहाँ और जब आवश्यक हो किसी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण करना ;

(दो) समिति के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना ;

(तीन) समिति को, समिति के किसी अधिकारी या कर्मचारी का निलंबन प्रस्तावित करना ; " ;

(तीन) खण्ड (ख) में " पच्चीस हजार रुपये " शब्दों के स्थान में, " पाँच लाख रुपये " शब्द रखे जायेंगे;

(ग) उप-धारा (३) में, " कार्यकारी अधिकारी " शब्दों के स्थान में, " मुख्य कार्यकारी अधिकारी " शब्द रखे जायेंगे ;

(घ) उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, जोडी जायेगी, अर्थात् : —

"(४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आपत्कालिन मामले में, किसी कार्य का कार्यान्वयन या किसी कृत्य को करने का, जिसमें पाँच लाख रुपये से अनधिक व्यय अन्तर्गस्त है, जो वर्ष के बजट में उपबंधित नहीं किया गया है और सद्य कार्यान्वयन और ऐसा कृत्य, जो उसकी राय में, न्यास की संपत्ति का संरक्षण करने के लिए या संस्थान को भेट देनेवाले तीर्थयात्रियों की सेवाओं या सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, के निदेश दे सकेगा और यह भी निदेश दे सकेगा कि, ऐसे कार्य का कार्यान्वयन या कृत्य करने के लिये पाँच लाख रुपये से अनधिक ऐसे व्यय का न्यास निधि से भुगतान किया जायेगा ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इस धारा के अधीन की गई कार्यवाही और उसके कारणों सहित अनुमोदन के लिए, समिति को तुरंत रिपोर्ट करेगा ।"।

६. मूल अधिनियम की धारा १४ के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् २००४ का महा. १४ में धारा १४क की निविष्टि ।

" **१४क.** शासकीय संकल्प विधि तथा न्याय विभाग, क्र. एसएसवी. २०१३/सीआर क्र. १/डी-१६, दिनांकित २२ अक्तूबर २०१३ के अधीन गठित कृति योजना समिति द्वारा सम्यक्तया अनुमोदित श्री साई बाबा महासमाधि शताब्दी महोत्सव की विकास योजना में समाविष्ट प्रस्तावों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिये, – श्री साई बाबा महासमाधि के शताब्दी महोत्सव की विकास योजना के कार्यान्वयन की शक्ति ।

(क) " मुख्य कार्यकारी अधिकारी " को, पच्चीस लाख रुपये तक के व्यय को मंजूरी देने की शक्ति होगी ;

(ख) समिति को, एक करोड़ रुपये तक का व्यय मंजूर करने की शक्ति होगी; तथा

(ग) एक करोड़ रुपयों से अधिक का व्यय अन्तर्गस्त होनेवाले प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा मंजूर किया जायेगा। "।

७. मूल अधिनियम की धारा १५ में,— सन् २००४ का महा १४ की धारा १५ में संशोधन ।

(क) उप-धारा (१) में, " कार्यकारी अधिकारी " शब्दों के स्थान में, " मुख्य कार्यकारी अधिकारी " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (३) में, " कार्यकारी अधिकारी " शब्दों के स्थान में, " मुख्य कार्यकारी अधिकारी " शब्द रखे जायेंगे ;

(ग) पार्श्व टिप्पणी में, " कार्यकारी अधिकारी " शब्दों के स्थान में, " मुख्य कार्यकरी अधिकारी " शब्द रखे जायेंगे ;

सन् २००४ का महा. १४ की धारा १७ में संशोधन ।

८. मूल अधिनियम की धारा १७ की, उप-धारा (२) के खण्ड (घ) में, " कार्यकारी अधिकारी " शब्दों के स्थान में, " मुख्य कार्यकारी अधिकारी " शब्द रखे जायेंगे ।

सन् २००४ का महा. १४ की धारा १८ में संशोधन ।

९. मूल अधिनियम की धारा १८ की, –

(क) उप-धारा (१) के, खण्ड (आठ) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किये जायेंगे, अर्थात् :–

" (आठ-क) भारतीय राजस्व सेवाओं या भारत लेखा संपरीक्षा तथा लेखा सेवाओं से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक अधिकारी ;

(आठ-ख) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक अधिकारी या प्रतिनिधि;

(आठ-ग) विधि तथा न्याय विभाग से एक संयुक्त सचिव या उप सचिव जो प्रधान सचिव तथा विधिक कामकाज के परामर्शी द्वारा नामनिर्देशित किया हो ;

(आठ-घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक वास्तुकार या राज्य सेवाओ में, समतुल्य अर्हताएँ धारण करनेवाला कोई व्यक्ति ;

(आठ-ड़) समिति द्वारा नामनिर्देशित श्री साई बाबा के दो भक्त ;

(आठ-च) संयुक्त निदेशक, नगर योजना, नासिक ; " ;

(ख) उप-धारा (३) में, " कार्यकारी अधिकारी " शब्दों के स्थान में, " मुख्य कार्यकारी अधिकारी " शब्द रखे जायेंगे ।

सन् २००४ का महा. १४ की धारा २३ में संशोधन ।

१०. मूल अधिनियम की धारा २३ में, "कार्यकारी अधिकारी " शब्द दोनों स्थानों में, जहाँ कहीं वे आए हों के स्थान में, " मुख्य कार्यकारी अधिकारी " शब्द रखे जायेंगे ।

सन् २००४ का महा. १४ की धारा २७ में संशोधन ।

११. मूल अधिनियम की धारा २७ में, "उप सचिव " शब्दों के स्थान में, " संयुक्त सचिव " शब्द रखे जायेंगे ।

सन् २००४ का महा. १४ की धारा २८ में संशोधन ।

१२. मूल अधिनियम की धारा २८ की,—

(क) उप-धारा (१) में, " कार्यकारी अधिकारी " शब्दों के स्थान में, " मुख्य कार्यकारी अधिकारी " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (१) में , निम्न परंतुक, जोडा जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सरकार को, समिति के ऐसे संकल्प भेज सकेगा जिसे, सरकार के ध्यान में लाना आवश्यक है, ऐसा उसे लगता है । " ;

(ग) उप-धारा (२) में, " कार्यकारी अधिकारी का निर्णय या आदेश " शब्द, दोनों स्थानों पर, जहाँ कहीं वे आये हों, के स्थान में, " मुख्य कार्यकारी अधिकारी या, यथास्थिति, समिति का निर्णय, संकल्प या आदेश " शब्द रखे जायेंगे ।

सन् २००४ का महा. १४ की धारा २९ में संशोधन ।

१३. मूल अधिनियम की धारा २९ की उप-धारा (१) में, "३० जून " शब्द, अंकों तथा अक्षरों के स्थान में, "३० सितंबर" शब्द, अंक, अक्षर रखे जायेंगे ।

सन् २००४ का महा. १४ की धारा ३० में संशोधन ।

१४. मूल अधिनियम की धारा ३० की, –

(क) उप-धारा (१) में, " कार्यकारी अधिकारी " शब्दों के स्थान में, " मुख्य कार्यकारी अधिकारी " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (४) में, " कार्यकारी अधिकारी " शब्दों के स्थान में, " मुख्य कार्यकारी अधिकारी " शब्द रखे जायेंगे।

१५. मूल अधिनियम की धारा ३४ की, उप-धारा (३) में, " कलक्टर की श्रेणी से निम्न " शब्दों के स्थान में, " विभागीय आयुक्त की श्रेणी से निम्न " शब्द रखे जायेंगे । सन् २००४ का महा. १४ की धारा ३४ में संशोधन ।

वक्तव्य ।

"श्री साई बाबा संस्थान न्यास (शिर्डी)" नाम से शिर्डी में श्री साई बाबा शिर्डी संस्थान न्यास पुनर्गठित करने, और राज्य सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रणाधीन सीधे प्रबंध समिति द्वारा कुशल प्रबंधन के लिये उपबंध करने और उक्त न्यास को समर्थ बनाने के लिए अधिक प्रभावशाली और कुशलतापूर्वक उसके धर्मार्थ क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने और उसके भक्तों के लिये अधिक सुविधाएँ देने और सामान्य लोगों के लिये उसके अतिरिक्त निधि से व्यापक कल्याणकारी क्रियाकलाप उपक्रमित करने के लिए श्री साई बाबा संस्थान न्यास (शिर्डी) अधिनियम, २००४ (सन् २००४ का महा. १४) अधिनियमित किया गया है।

२. उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, भक्तों को आवश्यक सुविधाएँ और सुखसुविधाएँ देने के लिए और उसके उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिये उक्त न्यास की आय का उपयोग करना उक्त न्यास की प्रबंधन समिति का एक प्राथमिक और महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है जिसके लिये न्यास इस अधिनियम के अधीन प्रशासित है। यह देखा गया है कि देवता के दर्शन के लिये शिर्डी में भेंट देनेवाले भक्तों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है, इसलिए, शिर्डी में बुनियादी सुविधाओं के लिए जरुरतें बढ़ी है। ऐसी परिस्थितियों में, भक्तों को अधिक से अधिक बुनियादी सुविधाओं देने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम की धारा २१ में उप-धारा (१क) निविष्ट करनी है।

३. अब, विशेष प्रार्थना याचिका शीर्ष क्र. १९८५६/२०१४ में सन्मानीय उच्चतम न्यायालय ने श्री साई बाबा संस्थान न्यास, शिर्डी के कार्यकारी अधिकारी के पद पर भारतीय प्रशासकीय सेवा के संवर्ग से अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए निर्देशित किया है, देखिए उनका आदेश दिनांकित १७ फरवरी, २०१७। तद्नुसार, राज्य सरकार ने, कार्यकारी अधिकारी के पद पर भारतीय प्रशासकीय सेवा के संवर्ग से अधिकारी की नियुक्ति की है, जिसके परिणाम स्वरुप, उक्त अधिनियम में कतिपय संशोधन कार्यान्वित करना इष्टकर है। साथ ही, न्यास वर्ष २०१७-२०१८ में श्री साई बाबा समाधी शताब्दी वर्ष उत्सव का आयोजन कर रही है।

४. उपर्युक्त स्थिति की पृष्ठभूमि में साथ ही साथ वर्ष २००४ की बदलती परिस्थितियों में पाये गये कुछ बदलावों के कारण उक्त अधिनियम की धाराएँ २, ११(२), १३(२), १४, १५, १७(२), १८, २३, २७, २८, २९(१), ३० और ३४(३) में यथोचित अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है, और उक्त अधिनियम में धारा १४ और धारा १४क नई उप-धारा (४) निविष्ट करनी है।

५. उक्त अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएँ यथा निम्न है :–

(एक) उक्त अधिनियम की धाराएँ २ और अन्य सुसंगत धाराओं में संशोधन करना प्रस्तावित है, ताकि न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रुप में न्यास के कार्यकारी अधिकारी पद में परिवर्तन के लिए उपबंध करना;

(दो) धारा ११(२) में संशोधन करना प्रस्तावित है, ताकि गणपूर्ति की अनुपस्थिति में प्रबंधन समिति की बैठक के स्थगन संबंधी उपबंध करना;

(तीन) धारा १३(२) में संशोधन करना प्रस्तावित है, ताकि भारतीय प्रशासकीय सेवा के संवर्ग से न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर अधिकारी के चयन के लिए उपबंध करना;

(चार) धारा १४(२) में संशोधन करना प्रस्तावित है, ताकि समिति के प्रत्येक कर्मचारी का अन्तरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही, निलम्बन आदि, संबंधी उपबंध करना;

(पाँच) धारा १४ की नवीन उप-धारा (४) जोडकर संशोधन करना प्रस्तावित है, ताकि समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आपत्कालीन मामले में पाँच लाख की रकम से अधिक न हो, किसी कार्य के निष्पादन करने या किसी कृत्य को करने के लिए जिसमें वर्ष के बजट में उपबंधित नहीं किया गया है और उससे संबंधित मामले को उसकी राय में, श्री साई बाबा संस्थान न्यास, शिर्डी की संपत्ति का संरक्षण करने के लिए या न्यास निधि से श्री साई बाबा संस्थान न्यास, शिर्डी को तीर्थयात्रियों की सेवा या तीर्थयात्रियों के सैरगाह की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, के लिए विशेष शक्तियाँ देना है।

(छह) नई धारा १४क निविष्ट करना, जिससे, श्री साई बाबा महासमाधि शताब्दी महोत्सव की विकास योजना के क्रियान्वयन से संबंधित उपबंध बनाये जाये।

(सात) धारा १८(१) संशोधित करना, जिससे, सलाहकार परिषद के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये प्रबंधन समिति की सलाह देने तथा उसके सदस्य के रुप में संयुक्त निदेशक, नगर योजना, नासिक की नियुक्ति करने के लिये, भारतीय राजस्व सेवा या भारतीय संपरीक्षा तथा लेखा सेवाओं से नामित अधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से अधिकारी, विधि तथा न्याय विभाग से संयुक्त सचिव या उप-सचिव और वास्तुकार या राज्य सेवाओं में समतुल्य अर्हता धारण करनेवाले व्यक्ति और श्री साई बाबा के दो भक्तों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए प्रबंधन समिति को सशक्त करने के लिये, सरकार को सशक्त किया जाये;

(आठ) धारा २७ संशोधित करना, जिससे संस्थान न्यास से संबंधित स्थावर तथा जंगम संपत्ति, अभिलेख, पत्राचार, योजनाएँ, लेखा तथा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण, उप-सचिव के बजाय राज्य सरकार के संयुक्त सचिव की श्रेणी से अनिम्न अधिकारी द्वारा, राज्य सरकार के आदेश के अनुसार कार्यन्वित हो रहा है, का उपबंध करें;

(नौ) धारा २८ (१) संशोधित करना, जिससे उपबंध किया जा सके कि, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सरकार को प्रबंधन समिति को संकल्प भेज सकें;

(दस) धारा २९(१) संशोधित करना, जिससे उपबंध किया जा सके कि, न्यास की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति, उस वर्ष के ३० जून के बजाय उस वर्ष के ३० सितंबर से पूर्व राज्य सरकार और पूर्त आयुक्त को प्रस्तुत की जाये;

(ग्यारह) धारा ३४(३) संशोधित करना, जिससे कलक्टर के बजाय, राज्य सरकार की क्रियाशील सेवा में के व्यक्तियों में से या व्यक्ति जो प्रभागीय आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न पद से सेवानिवृत्त होने से, प्रशासक के रुप में व्यक्ति की नियुक्ति के लिये उपबंध किया जाये, यह प्रस्तावित है।

६. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका हैं कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें उपरोक्त प्रयोजनों के लिये श्री साई बाबा संस्थान न्यास (शिर्डी) अधिनियम, २००४ (सन् २००४ का १४) में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक है, अत: यह अध्यादेश, प्रख्यापित किया जाता हैं।

मुंबई,
दिनांकित १३ जुलाई, २०१७ ।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से।

नि. ज. जमादार,
सरकार के प्रधान सचिव
तथा परामर्शी।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.